कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ ।
3. खण्ड विकास अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, मेरठ ।

पत्रांक : जि.अधि./कोविड-19/एन.टी.सी.पी./2020–2021 /159 दिनांक : 8-7- 2020

विषय : कोविड–19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020–21/8861 लखनऊ/ दिनांक 23.6.2020 एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेष के षासन आदेष 786/तीन–18–06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 महानिदषक के पत्र संख्या–राज्य राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2019–20/8375 दिनांक 13.04.2020 एवं पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020–21/8388 दिनांक 11.05.2020 द्वारा प्रदेष के समस्त पासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेष द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्ध करने के निर्देष दिये जा चुके हैं।

आपको विदित है कि आज पूरा विश्व कोरोना (कोविड19) वैष्विक महामारी के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। मेरठ भी इस संघर्ष से अलग नहीं है।

क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर इधर– उधर थूकने से कोरोना वायरस कोविड–19 को फैलने में सहायक हो सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 269, 270, 278 में निर्धारित किया गया है कि जो कोई भी वातावरण को स्वेच्छा से दूषित करता है जो सामान्य आवास में व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या पड़ोस या सार्वजनिक स्थान पर इसे फैलाता है, उस पर 500 रूपये का अर्थदण्ड निर्धारित किया गया है कोटपा–2003 की धारा–4, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।

जैसे कि प्रदेष में लगभग 29.4 प्रतिषत लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का सेवन किसी न किसी रूप में करते हैं जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान–मसाला का सेवन कर सार्वजनिक स्थानों पर इधर–उधर थूकने से कोरोना वायरस कोविड–19 को फैलने में सहायक हो सकता है अतः आप को निर्देषित किया जाता है कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान व पान–मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग तथा पान मसाला, गुटखा इत्यादि खाकर थूकने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकडे जाने पर सुसंगत नियमों/उपनियमों अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
मेरठ।

पत्रांक : जि.अधि./कोविड-19/एन.टी.सी.पी./2020–2021 /160 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1–निदेषक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2–राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3– पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
4– मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ ।
5– अधिषासी निदेषक यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

9-7-20

जिलाधिकारी
मेरठ।

9-7-2020

09/7/20